

(3)

संचालनालय आयुष, म0प्र0

(अपर बेसमेंट "बी" विंग, सतपुडा भवन, भोपाल-462004)

www.ayush.mp.gov.in

E-mail: jdayush@mp.gov.in

Office (0755)2552931

Fax (0755) 2760225

--:विज्ञापन::--

म0प्र0 एम0डी0 (होम0) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम-2018 के क्रम में उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु इच्छुक ए.आई.ए.पी.जी.ई.टी.-2018 में सम्मिलित अभ्यर्थियों को निम्नानुसार जानकारी एम.पी.ऑनलाईन के पोर्टल पर पंजीयन के लिए दर्ज कराना आवश्यक है। तदनुसार ही आगामी प्रवेश प्रक्रिया संपादित हो सकेगी। अतः समस्त इच्छुक अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि निम्नानुसार जानकारी एम.पी. ऑनलाईन www.mponline.gov.in के पोर्टल पर दिनांक 05/09/2018 से 10/09/2018 तक दर्ज करावें:-

1. अभ्यर्थी (ए.आई.ए.पी.जी.ई.टी.-2018) का रोल नम्बर:-
2. अभ्यर्थी का नाम(ए.आई.ए.पी.जी.ई.टी.-2018 में दर्ज) :-
3. पिता/पति का नाम:-
4. जन्मतिथि(ए.आई.ए.पी.जी.ई.टी.-2018 में दर्ज) :-
5. लिंग(म./पु.):-
6. प्रवर्ग/संवर्ग (UR/ST/SC/OBC)/(F/PH):-
7. सेवारत (उक्त प्रवेश नियम प्रकाशन दिनांक 16/07/2018 एवं सहपटित 10/08/2018 के 4.1 से 4.7 के अनुसार)/गैर सेवारत:-
8. अभ्यर्थी को ए.आई.ए.पी.जी.ई.टी.-2018 में प्राप्तक:-
9. मूल/स्थानीय निवासी-म.प्र./अन्य राज्य:-
10. स्थाई पता (ए.आई.ए.पी.जी.ई.टी.-2018 में दर्ज):-
11. मो.नं. (ए.आई.ए.पी.जी.ई.टी.-2018 में दर्ज):-
12. ई-मेल आई.डी. (ए.आई.ए.पी.जी.ई.टी.-2018 में दर्ज):-

ए.आई.ए.पी.जी.ई.टी.
-2018 अनुसार
फोटों

नोट:-

1. म.प्र. के शासकीय (स्वशासी)/निजी होम्योपैथी महाविद्यालयों में संचालित एम0डी0 (होम0) पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को उपरोक्तानुसार पंजीयन कराना आवश्यक है। अन्यथा प्रवेश प्रक्रिया संपादित न हो पाने के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
2. प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को एम.पी. ऑनलाईन द्वारा निर्देशित पंजीयन प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक है।
3. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि पोर्टल पर दर्ज की जाने वाली जानकारी सत्य एवं प्रमाणित होनी चाहिये। जानकारी सबमिट करने के पूर्व एक बार पुनः सभी अंकित जानकारी की पुष्टि कर लेवे। असत्य व अप्रमाणित जानकारी दर्ज करने के कारण प्रवेश प्रक्रिया के किसी भी चरण में अमान्य घोषित हो जाने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
4. प्रवेश हेतु इच्छुक सभी अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त रजिस्ट्रेशन सह मैरिट तैयार किये जाने की प्रक्रिया उक्त नियम के नियम-10 एवं 11.2 के अनुसार एक ही बार (उक्त अवधि में) संपन्न की जावेगी तथा उक्त तैयार मैरिट के आधार पर ही प्रवेश काउंसिलिंग की आवश्यक प्रक्रिया संपादित की जावेगी। रजिस्ट्रेशन दिनांक समाप्त हो जाने के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश काउंसिलिंग प्रक्रिया के किसी भी चरण में शामिल नहीं किया जावेगा जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
5. उक्त प्रवेश नियम व अन्य आवश्यक जानकारी संचालनालय आयुष म0प्र0 भोपाल की वेबसाइट www.ayush.mp.gov.in & www.ayush.mponline.gov.in पर भी उपलब्ध है।
6. उक्त प्रवेश नियमों में नियम-15.5 में अंकित एम0पी0 ऑनलाईन के कस्टमर केयर नंबर 0755-4036805 के स्थान पर 0755-6720206 पर संपर्क किया जा सकता है।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित

(डॉ० सतीशचन्द्र शर्मा)
प्र0संयुक्त संचालक
संचालनालय आयुष म0प्र0